पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी
PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA NATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SECURITY
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
30-31 इंस्टिट्यूश्नल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोन – 28524248, फैक्स – 28525287
30-31 Institutional Area, Near CNG Petrol Pump, Opp.'D' Block, Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone : 011-28524248, Fax: 28525287
Website- www.natrss.gov.in , Email Id- natrss@epfindia.gov.in

सामाजिक सुरक्षा में वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप

लक्ष्य: सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक शोध के अवसर उपलब्ध करवाना।

अवधि: 01.04.2017 से 31.03.2019

पात्रता: वे व्यक्ति जिनके पास विशिष्ट अकादमिक कार्य तथा उच्च स्तर के अनुसंधान प्रकाशन हों। सामाजिक कार्यकर्ताओं, सक्रिय अनुसंधानकर्ताओं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा विशेषज्ञ क्षेत्रों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी।

(i) फैलोशिप के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

(ii) आवेदनकर्ता के पास किसी भी एक क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि हों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्य अनुभव हो।

(iii) जो छात्र फैलोशिप प्राप्त करते हैं वे न तो सेवा में होने चाहिएं और न ही फैलोशिप प्रदान करते समय सेवानिवृत्त होने चाहिएं।

(iv) किन्हीं भी परिस्थितियों में वेतन सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

(v) चयनित अनुसंधानकर्ता से यह आशा की जाती है कि वे भारत में पूर्णकालिक अनुसंधान करें।

(vi) अकादमी से फैलोशिप स्वीकार करते समय, किसी अनुसंधानकर्ता को अन्य किसी संगठन से फैलोशिप स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

(vii) अशक्त व्यक्तियों के चयन के मामले में, अकादमी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाने पर विचार कर सकती है।

अनुदान:

(i) अनुसंधानकर्ता को रु.55,000/- प्रति माह की फैलोशिप राशि प्रदान की जाएगी चाहे वे किसी भी प्रकार के पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हों। पेंशन लाभों की उनकी मासिक फैलोशिप से कटौती नहीं की जाएगी।

(ii) इसके अतिरिक्त रु.60,000/- प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान संपूर्ण फैलोशिप अवधि के दौरान अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(iii) सभी भुगतान नियमानुसार आय कर कटौती के अधीन होंगे।

प्रक्रिया :

i. अभ्यर्थियों को अनुभवजन्य डाटा सहित अनुसंधान संबंधित क्षेत्र, अनुसंधान की आवश्यकता, अनुसंधान के प्रस्तावित निष्कर्ष एवं यह सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में कैसे सहायक होगा के संबंध में लगभग 3000 शब्दों में सिनोप्सिस प्रस्तुत करना होगा ।

ii. फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 6 माह बढ़ाया जा सकता है । एक ही व्यक्ति को दो बार फेलोशिप नहीं दी जाएगी ।

iii. फेलोशिप लेने के संबंध में स्वीकृति देने की तिथि से फेलोशिप अवधि की गणना की जाएगी।

iv. एक बार फेलोशिप लेने के बाद इसे वापिस नहीं किया जा सकता । यदि अभ्यर्थी अनुसंधान प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से पहले अनुसंधान फेलोशिप छोड़ देता है तो उसे असंगत व्यय लौटाना होगा ।

v. अनुसंधान फेलोशिप अवधि के दौरान अनुसंधानकर्त्ता को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अपने कार्य एवं जानकारी को साथी अनुसंधानकर्त्ताओं में प्रसारित करने के लिए पीडीयूएनएएसएस अथवा अन्य उचित स्थानों पर व्याख्यान देने होंगे एवं वर्कशॉप में भाग लेना होगा ।

vi. अनुसंधानकर्त्ता को अपने कार्य के संबंध में प्रत्येक 6 माह में स्वप्रमाणित व्यय के सामान्य लेखा विवरण सहित प्रगति रिपोर्ट देनी होगी ।

vii. अनुसंधानकर्त्ता को फेलोशिप पूर्ण होने से पहले पुस्तक के समतुल्य अप्रकाशित अंतिम रिपोर्ट एवं पांच हजार शब्दों में सार प्रस्तुत करना होगा ।

viii. निर्धारित समय एवं प्रपत्र में फेलोशिप हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच एक चयन समिति द्वारा की जाएगी जो पात्र अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगी ।

ix. चयन समिति की सिफारिशों एवं फेलोशिप हेतु नियुक्ति को स्वीकार करना पूर्णतः सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर आधारित होगा ।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग तंत्र :

1. अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित दक्ष सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. अनुसंधानकर्त्ता निर्धारित मानक प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में किए गए अनुसंधान कार्य का पूर्ण तथ्यपरक विवरण दिया जाएगा । तत्पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट मानक प्रपत्र में फेलोशिप वर्ष पूर्ण होने से पहले प्रस्तुत की जाएगी । प्रत्येक वर्ष फेलोशिप जारी रहना कार्य की प्रगति पर निर्भर होगा । समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहने पर फेलोशिप समाप्त की जा सकती है ।

अंतिम तिथि :

नीचे निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक 30.01.2017 ,सायं 05:30 बजे तक निम्नलिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए । अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

<u>पता :</u>

निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान अकादमी
30-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप हेतु आवेदन पत्र का प्राफॉर्मा

1. बड़े अक्षरों में नाम एवं पता:

2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में):

3. सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता की तिथि:

4. शैक्षिक योग्यता :

क्रम सं.	डिग्री/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम जिससे प्राप्त किया है।	जिस वर्ष में प्राप्त किया है	प्राप्त किया डिविजन/ग्रेड

5. किए गए अनुसंधान कार्य का विवरण :

क्रम सं.	अनुसंधान पत्र/थीसिस का विषय	जहां प्रकाशित हुआ है उस संस्थान/प्रकाशन का नाम	प्रकाशन की तिथि	अभियुक्ति

6. कालानुक्रम में रोजगार का विवरण :
(आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत्
प्रमाणित अलग पृष्ठ/शीट संलग्न करें)।

कार्यालय/संस्थान संगठन	किस पद पर थे	------ से ----- तक	वेतनमान तथा अंतिम मूल वेतन	कार्य की प्रकृति

7. इस पद के लिए आपकी योग्यता के :
समर्थन में अतिरिक्त योग्यता, यदि कोई
हो, जिसका उल्लेख करना चाहते हों (यदि
आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

8. सिनोप्सिस : एस.आर.एफ. (SRF) योजना की प्रक्रिया के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट

9. संलग्न दस्तावेजों के विवरण
(अलग सूची में अंकित करें) :

10. अन्य संपर्क विवरण (ई मेल एवं मोबाइल) :

तिथि : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी
PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA NATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SECURITY
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
Employees' Provident Funds Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
30-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
30-31, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110058
दूरभाष/Phone: 28524248, 28521199; फैक्स/Fax: 28525987
Website: www.natrss.gov.in/ Email: natrss@epfindia.gov.in

SENIOR RESEARCH FELLOWSHIP IN SOCIAL SECURITY

OBJECTIVE: To provide opportunities to renowned Indian Social Scientists or distinguished personalities of Academic pursuit in the field of Social Security.

PERIOD: 01.04.2017 to 31.03.2019

ELIGIBILITY: Persons having outstanding academic work and High Quality Research Publications to their credit. Preference will be given to Social Workers, Action Researchers, Retired Academicians from reputed Universities or Retired Government Servants with specialized fields.

(i) There is no age bar for Fellowship.
(ii) The applicant should have obtained a doctoral degree in any area and should have work experience relating to Social Security.
(iii) The Scholars who avail Fellowship should either not be in service or should have superannuated at the time of Award of the Fellowship.
(iv) No salary protection will be available under any circumstances.
(v) The selected fellows are expected to do Full time Research in India.
(vi) While accepting Fellowship from the Academy, a fellow should not accept Fellowship from any other Organisation.
(vii) In case of selection of persons with disabilities, Academy may consider providing additional resources as per special requirements.

GRANT:

(i) Research fellow shall be paid a fellowship amount of Rs. 55,000/- per month irrespective of the fact whether they are getting any Pensionary benefits. The Pensionary benefits will not be deducted from their monthly fellowship.
(ii) In addition a contingency grant of Rs.60,000/- per annum shall also be provided to a fellow during an entire period of fellowship.
(iii) All payments are subject to Income Tax deduction as per rules.

PROCEDURE:

(i) Candidates must submit a brief synopsis of approximately 3000 words, for area of concerned research containing empirical data, need of research and proposed outcome of the research and also how will it benefit the enhancement of Social Security.

(ii) The term of Fellowship will be 2 years, extendable upto six months with the permission of competent authority. The fellowship shall not be awarded twice to the same person.

(iii) Term of fellowship will be counted from the date of acceptance of joining the Fellowship.

(iv) Once the fellowship is awarded it cannot be returned back. If any candidate leaves the research fellowship before completion of the research project, the fellow has to reimburse the extraneous expenditure.

(v) During the term of fellowship research, fellow will be required to give lectures and attend seminars and workshops at PDUNASS or at appropriate forum to disseminate his/her work and knowledge of Social Security among the fellow participants.

(vi) A fellow is required to submit the progress report every sixth month of his/her work and with a simple statement of accounts of expenditures duly signed by him/her.

(vii) A research fellow is required to submit a book length unpublished final report and summary of not more than five thousand words before completion of the fellowship.

(viii) The applications received for Fellowship in prescribed time and format shall be scrutinized by a Selection Committee, which will recommend the eligible candidates.

(ix) The acceptance of recommendation of the Selection Committee and the appointment to Fellowship shall be the sole discretion of the Competent Authority.

PROJECT MONITORING MECHANISM:

1. Evaluation of research work will be done by an expert advisory committee constituted by the Competent Authority.

2. The fellow shall submit annual reports as per the prescribed standard proforma. The first annual report should contain complete factual details of the research work done. Subsequent annual report as per the standard proforma should be submitted before the completion of fellowship year. Further continuation of fellowship each year will depend upon the progress of work. Failure to submit report in time may lead to termination of the fellowship.

LAST DATE:

Applications complete in all respects and in the proforma prescribed below, must reach the following address, by 05.30 PM of 30.01.2017. Applications received after the said date and time shall not be considered.

<u>ADDRESS</u>:
Director; Pt. Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security
30-31, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi – 110058

APPLICATION PROFORMA FOR SENIOR RESEARCH FELLOWSHIP

1. Name and address in Block letters :

2. Date of Birth (in Christian Era) :

3. Date of retirement/superannuation :

4. Educational Qualifications :

S.No.	Name of Degree/ Diploma/ Certificate	Name of University/ Institution from which acquired	Year in which acquired	Division/ Grade obtained

5. Details of Research work carried out :

S.No.	Subject of Research Paper/ Thesis	Name of Institution/ Publication where published	Date of Publication	Remarks

6. Details of Employment in chronological order (Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature) :

Office/Inst/Org	Post held	From	To	Scale of Pay and last Basic Pay	Nature of duties

7. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post (Enclose separate sheet, if required) :

8. Synopsis : as specified under Procedure (i) of SRF Scheme

9. Details of Documents enclosed (indicate in a separate list) :

10. Other Contact details (email and Mobile) :

Date: **Signature of the Candidate**